POLICE COMMISSIONERATE

GAUTAM BUDH NAGAR

सराहनीय कार्य /प्रेस विज्ञप्ति - दिनाकं 26.12.2024

1.थाना सेक्टर-63 नोएडा पुलिस द्वारा एनसीआर क्षेत्र में घूम-फिरकर ऑटो में सवार होकर सवारियों के फोन चोरी करने वाले 02 शातिर चोर गिरफ्तार, कब्जे से चोरी की 01 मोटरसाइकिल, चोरी के 02 मोबाइल फोन व 02 अवैध चाकू बरामद।

कार्यवाही का विवरण-- दिनांक 26.12.2024 को थाना सेक्टर-63 नोएडा पुलिस द्वारा चेकिंग के दौरान लोकल इंटेलीजेंस एवं गोपनीय सूचना के आधार पर एनसीआर क्षेत्र में घूम-फिरकर ऑटो में सवार होकर सवारियों के फोन चोरी करने वाले 02 शातिर चोर 1-वकील पुत्र जहीर 2-ताहिर पुत्र मोहम्मद आरिफ को बन्द पड़े रिलायन्स पेट्रोल पम्प ए ब्लाक सेक्टर-63 से **गिरफ्तार** किया गया है। अभियुक्तों के कब्जे से दिल्ली से चोरी की गयी 01 मोटरसाइकिल पैशन प्रो0 नं0 डीएल 5एस सीपी 6569, चोरी के 02 मोबाइल फोन एवं 02 अवैध चाकू बरामद किये गये है।

घटना का संक्षिप्त विवरण-- अभियुक्तों द्वारा पूछताछ के दौरान बताया गया कि हम दोनों में से कोई भी एक ऑटो में सवारी बनकर बैठ जाता है और बगल में बैठी सवारियो का फोन चुराकर कुछ दूर जाकर उतर जाता है। हम दोनो में से एक मोटरसाइकिल लेकर पीछे चलता है और दूसरे के ऑटो से उतर जाने के बाद मोटरसाइकिल पर बैठकर हम दोनो चले जाते है। हम दोनो लोग इस तरह से चुराये हुए मोबाइल फोनो को गाजियाबाद जाकर नौशाद पुत्र हसन को देते है। अवैध चाकुओ के सम्बन्ध में अभियुक्तों द्वारा बताया गया कि हम लोग जनता के लोगो द्वारा मौके पर पकड़े जाने के ड़र से अपने पास अवैध चाकू रखते है ताकि चाकू दिखाकर भाग जाये। बरामद मोटरसाइकिल पैशन प्रो0 नं0 डीएल 5ए सीपी 6569 ई-पुलिस स्टेशन एमवी थैप्ट दिल्ली पर पंजीकृत मु0अ0सं0 3086/24 से सम्बन्धित है। अभियुक्तों के वांछित साथी की तलाश की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण--

1. वकील पुत्र जहीर निवासी एक मिनार मस्जिद वाजिग्राम, मोहल्ला डासना, थाना वेव सिटी, जनपद गाजियाबाद (उम्र 33 वर्ष)।

2. ताहिर पुत्र मोहम्मद आरिफ निवासी एक मिनार मस्जिद वाजिग्राम मोहल्ला डासना, थाना वेव सिटी, जनपद गाजियाबाद (उम्र 23 वर्ष)।

पंजीकृत अभियोग का विवरण--

1. मु0अ0सं0 593/2024 धारा 17(2)/317(5) बीएनएस एंव 4/25 शस्त्र अधिनियम थाना सेक्टर-63, गौतमबुद्धनगर।

आपराधिक इतिहास का विवरण--

अभियुक्त वकील--

1. मु0अ0सं0 308/2021 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट थाना फेस-3, गौतमबुद्धनगर।
2. मु0अ0सं0 1597/2018 धारा 392/411/34 भादवि थाना सिहानी गेट जनपद गाजियाबाद।
3. मु0अ0सं0 1343/2018 धारा 380 थाना सिहानी गेट, जनपद गाजियाबाद।
4. मु0अ0सं0 751/2018 धारा 392/411 भादवि थाना मसूरी, जनपद गाजियाबाद।

बरामदगी का विवरण--

1. चोरी के 02 मोबाइल फोन
2. चोरी की 01 मोटरसाइकिल पेशन प्रो (सम्बधित मु0अ0सं0 3086/24 ई पुलिस स्टेशन एमवी थैप्ट दिल्ली)
3. दो अवैध चाकू

2.थाना सूरजपुर पुलिस द्वारा लुटेरी दुल्हन गैंग का पर्दाफाश करते हुये गैंग के 04 सदस्य/अभियुक्त (जिनमें 03 पुरूष व 01 महिला) गिरफ्तार।

कार्यवाही का विवरण-- दिनांक 26.12.2024 को थाना सूरजपुर पुलिस व सर्विलांस/सीडीटी टीम के संयुक्त प्रयास से लुटेरी दुल्हन गैंग के मुखिया 1.प्रदीप पुत्र राजेन्द्र भारद्वाज व सदस्य 2. आमिर पुत्र अब्दुल हफीज 3.संतोष पुत्र गोपीचंद एवं एक महिला अभियुक्ता मालती पत्नी थानसिंह को इन्द्रानगर थाना देहलीगेट जिला अलीगढ से **गिरफ्तार** किया गया है। जिनके विरूद्ध थाना सूरजपुर पर मु0अ0सं0- 776/2024 धारा 87/61(2)/318(4)) बीएनएस पंजीकृत है।

घटना का संक्षिप्त विवरण-- उक्त गैंग के सदस्यो द्वारा समाज के मध्य रहकर भोली-भॉली लडकियो एवं महिलाओ को शादी के नाम पर बहला फुसलाकर अपने गैंग में मिलाकर ऐसे व्यक्तियो से सम्पर्क किया जाता है जिन्हें शादी की इच्छा होती है पैसे से मोल भाव कर इनके द्वारा शादी तय की जाती है एवं अपने गैंग की लड़की या महिला से इच्छित व्यक्तियो की शादी करा दी जाती है तथा पैसा लिया जाता है व पैसा गैंग के सदस्यो एवं दुल्हन बनी लड़की में बांट दिया जाता है, फिर लडकी को विदा कराने के नाम दुल्हन को जेवर , गहना आदि के साथ वापस ले आते है या दुल्हन स्वंय मौका पाकर भाग आती है तत्पश्चात गैंग मुखिया प्रदीप पुत्र राजेन्द्र व अन्य सदस्य लड़की सहित गायब हो जाते है उक्त गिरोह में मालती देवी दुल्हन की माता या मौसी बनकर अपना कार्य करती है थाना सूरजपुर क्षेत्र के कस्बा सूरजपुर से भी एक लड़की को इनके द्वारा अपने गैंग में जानबूझकर शादी का झांसा देकर फसाने का प्रयास किया गया। सर्विलांस टीम एवं पुलिस की सूझबूझ एंव तत्परता से उक्त लकड़ी को सकुशल बरामद कर लिया गया एवं इस लुटेरी दुल्हन गैंग के मुखिया एव सदस्यो को गिरफ्तार किया गया है। गैंग मुखिया प्रदीप एवं आमिर की पत्नी भी इस गैंग की प्रमुख सदस्या है जो अभियुक्तगण के साथ अपराध कारित करने पर पूर्व में जेल जा चुकी है एवं मौके से फरार है जिसकी गिरफ्तारी हेतु पुलिस टीम द्वारा प्रयास किया जा रहा है।
इस गैंग के द्वारा पूर्व में भी अन्य जनपदो में इस प्रकार की घटना कारित की गयी है एंव जेल जा चुके है।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण--

1. प्रदीप पुत्र राजेन्द्र भारद्वाज नि0 ग्राम जरगवां थाना रामघाट बुलन्दशहर उम्र करीब 32 वर्ष
2. आमिर पुत्र अब्दुल हफीज नि0 मौ0 शाह जमाल थाना देहली गेट अलीगढ उम्र करीब 25 वर्ष
3. संतोष पुत्र गोपीचंद नि0-इन्द्रानगर थाना क्वारसी अलीगढ उम्र करीब 35 वर्ष
4. मालती पत्नी थानसिंह कोरी निवासी गली न0 10 इन्द्रानगर थाना देहलीगेट जिला अलीगढ उम्र करीब 50 वर्ष

अभियुक्त प्रदीप का अपराधिक इतिहास--

1. मु0अ0सं0 70/2020 धारा 13 जुआ अधिनियम थाना रामघाट जनपद बुलन्दशहर।
2. मु0अ0सं0 137/2015 धारा 323/342/464/467/504/506 भादवि थाना लोधा जनपद अलीगढ़
3. मु0अ0सं0 344/2023 धारा 406/418/420 थाना जंवा जनपद अलीगढ़
4. मु0अ0सं0 394/2024 धारा 420/465/467/468/120बी/328/406/411/471/474 भादवि थाना क्वारसी जनपद अलीगढ़
5. मु0अ0सं0 776/2024 धारा 87/61(2)/318(4)) बीएनएस थाना सूरजपुर जनपद गौतमबुद्धनगर।

अभियुक्त आमिर का अपराधिक इतिहास--

1. मु0अ0सं0 118/2020 धारा 379/411/420 भादवि थाना देहली गेट जनपद अलीगढ़
2. मु0अ0सं0 776/2024 धारा 87/61(2)/318(4)) बीएनएस थाना सूरजपुर जनपद गौतमबुद्धनगर।

अभियुक्त संतोष का अपराधिक इतिहास--

1. मु0अ0सं0 79/2023 धारा 342/363/366/370 भादवि थाना गांधी पार्क जनपद अलीगढ़
2. मु0अ0सं0 776/2024 धारा 87/61(2)/318(4)) बीएनएस थाना सूरजपुर जनपद गौतमबुद्धनगर।

अभियुक्ता मालती का अपराधिक इतिहास--

1. मु0अ0सं0 776/2024 धारा 87/61(2)/318(4)) बीएनएस थाना सूरजपुर जनपद गौतमबुद्धनगर।

3.थाना फेस-2 नोएडा पुलिस द्वारा एनसीआर क्षेत्र में मौका पाकर घरो में सो रहे लोगो के मोबाइल फोन चोरी करने व चोरी किये गये मोबाइल फोन के माध्यम से रूपयों को अन्य खातों में ट्रान्सफर करने वाला शातिर अपराधी गिरफ्तार किया गया।

घटना का संक्षिप्त विवरण-- थाना फेस-2 नोएडा पर वादी व उसकी पत्नी का मोबाइल फोन अज्ञात अभियुक्त द्वारा चोरी कर लेने के सम्बन्ध में मु0अ0सं0 438/2024 धारा 379 भादवि बनाम अज्ञात पंजीकृत किया गया था। अभियुक्त द्वारा वादी व उसकी पत्नी के मोबाइल फोन के माध्यम से कुल 1,04,001 रूपये अन्य खातों में ट्रांसफर कर लिये गये थे। उक्त घटना के सफल अनावरण हेतु पुलिस टीम का गठन किया गया था।

कार्यवाही का विवरण-- दिनांक 26.12.2024 को थाना फेस-2 पुलिस द्वारा साइबर सेल हेल्प डेस्क, इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस व मैनुअल इंटेलिजेंस की सहायता से मोबाइल फोन को चोरी कर पैसे ट्रांसफर करने वाले अभियुक्त कमल माँझी पुत्र मनोरजन माँझी को दिल्ली से **गिरफ्तार** किया गया है। पुलिस टीम द्वारा वादी मुकदमा के खाते से निकाले गये 97,000 रूपये अभियुक्त कमल मांझी के खाते में फ्रीज कराये गये है।

पूछताछ का विवरण-- अभियुक्त कमल माँझी द्वारा पूछताछ के दौरान बताया गया कि वह अपने साथी तमन मांझी व सपन मांझी की मदद से मोबाइल फोन चोरी करता था एवं चोरी किये गये मोबाइल फोन से अपने खातो में रूपयों को ट्रान्सफर कर लेता था। वह चोरी के मोबाइल फोन कम दामों पर अन्य राज्यों में जाकर बेच देता था। वर्तमान में अभियुक्त कमल मांझी के साथी तपन मांझी व सपन मांझी थाना सूरजपुर से गौतमबुद्धनगर कारागार में निरूद्ध है।

1. अभियुक्त कमल मांझी द्वारा अपने साथी तपन मांझी व सपन मांझी की मदद से एनसीआर क्षेत्र में घूम-फिरकर घरों को चिन्हित कर रात में मौका पाकर सो रहे लोगो के मोबाइल फोन चोरी करना और चोरी किये गये मोबाइल फोन से अपने खातो में पैसे ट्रान्सफर करना।
2. ये सभी लोग समूह बनाकर कार्य करते थे तथा मोबाइल फोन चुरा लेने के उपरान्त पकड़े जाने की सम्भावना की आशंका होते ही अपने दूसरे साथी को मोबाइल पकड़ा देते थे।
3. ये सभी लोग काफी मात्रा में मोबाइल एकत्र हो जाने के उपरान्त अन्य राज्यों में जाकर औने-पौने दाम में बेच देते थे।
4. ये सभी लोग भारी मात्रा में मोबाइल चोरी कर लेने के उपरान्त व मोबाइल से रूपये ट्रान्सफर करने के उपरान्त 3 से 4 दिन में ट्रेन के माध्यम से चोरी के मोबाइल बेचने के लिये अन्य राज्य चले जाते हैं।
5. इन सभी लोगो का कोई निश्चित ग्राहक नही होता हैं बल्कि यह तोल-मोल करके जहां भी इनको अधिक दाम मिलता है वही बेच देते हैं।
6. वर्तमान में अभियुक्त कमल मांझी के साथी तपन मांझी व सपन मांझी गौतमबुद्धनगर कारागार में निरूद्ध है।
7. वादी मुकदमा के खाते से निकाले गये 97,000 रूपये अभियुक्त कमल मांझी के खाते मे फ्रीज कराये गये।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण--

1. कमल माँझी पुत्र मनोरजन माँझी निवासी मंगोलपुर कला, थाना साउथ रोहिणी, दिल्ली मूल निवासी सटकनिया पोस्ट सीपुर, थाना ऐगरा, जिला पूर्वा मेधनीपुर पश्चिम बंगाल।

पंजीकृत अभियोग/आपराधिक इतिहास का विवरण--

1. मु0अ0सं0 530/24 धारा 305(ए) बीएनएस थाना सूरजपुर, गौतमबुद्धनगर।
2. मु0अ0सं0 481/24 धारा 305(ए) बीएनएस थाना सूरजपुर, गौतमबुद्धनगर।
3. मु0अ0सं0 623/24 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट थाना सूरजपुर, गौतमबुद्धनगर।
4. मु0अ0सं0 615/24 धारा 305/317(2) बीएनएस, थाना सूरजपुर, गौतमबुद्धनगर।
5. मु0अ0सं0 438/24 धारा 379/411 भा0द0वि0 थाना फेस-2 गौतमबुद्धनगर।